Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 45: Final return

Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1) of section 39 and whose registration has been cancelled shall furnish a final return within three months of the date of cancellation or date of order of cancellation, whichever is later, in such form and manner as may be prescribed.

धारा 45 : अंतिम विवरणी

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है और जिसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है, रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो, से तीन मास के भीतर ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा।

www.cggst.com